



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

3132 9T Cell
12/07/17
विद्यया धनं विद्याया अक्षयं
Education Culture and Development
Lead me from Darkness to Light

आदेश क्रमांक **25/9-2014 PS (E-1)**

दिनांक, पंचकूला -05-07-2017

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Yuvraj Public School, Batta, Kaithal** को कक्षा 1 से 8 तक **CBSE** से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु मान्यता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक **25/9-2014 PS (E-1)** दिनांक **14.05.2015** में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड नं० **2860/KTL/8th/BOSE/2015** है।

DR. VANDANA DISODIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMIN
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA


दिनांक पंचकूला - 07-07-2017

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

11

1. प्रबन्धक समीति, **Rama Education Trust, Vill. Kutubpur, (Kaithal).**
 2. सचिव, **CBSE, New Delhi.**
 3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, **Bhiwani.**
 4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Kaithal.**
 5. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी **Kaithal.**
 6. Headmaster, **Yuvraj Public School, Batta, Kaithal.**
- ✓/ टैक्नोलोजी ऑफिसर (लोकल)।


SUPERINTENDENT PS
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला

आदेश क्रमांक 14/59-2014 एच0आर0एम0-1(4)

दिनांक 6-07-17

यह है कि श्री कंवर पाल, मिडल हैड, रा0मा0वि0 कपूरीकलां (यमुनानगर) को निदेशालय क आदेश क्रमांक 14/59-14HRM-I(4) दिनांक 15.02.2016 को नियम-7 के अन्तर्गत चांजशीट जारी की गई थी तथा निम्न आरोप लगाए गए:-

यह कि आपने दिनांक 1.8.2014 को मिड डे मील महिला कुक श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री बलबीर सिंह निवासी कपूरीकलां के साथ श्री हरजिन्द सिंह पंजाबी अध्यापक द्वारा की गई अपलोड हरकत, बलात्कार की कोशिश करने उपरान्त शिकायतकर्ता ने आपको मुख्याध्यापक हान के पास आपके पास श्री हरजिन्द सिंह पंजाबी अध्यापक के विरुद्ध शिकायत लेकर आई थी। परन्तु आप द्वारा पंजाबी अध्यापक के विरुद्ध उचित कार्यवाही न करते हुए उस महिला कुक के साथ आपने भी उक्त हरकत की। जिस कारण आप 15.9.2014 से 16.9.2014 को पुलिस हिरासत में रहे और आपके विरुद्ध हरियाणा राज्य महिला आयोग चण्डीगढ़ में भी शिकायत हुई।

सम्बन्धित आरोपी अध्यापक द्वारा आरोप सूची के बारे में अपना जवाब दिनांक 2.3.2016 प्रस्तुत किया गया है। अवलोकन उपरान्त श्री डी0डी0 गौतम, IAS सेवानिवृत्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 22.2.2017 में जांच अधिकारी ने आरोप सिद्ध न होना पाया जाना प्रस्तुत किया।

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 22.2.2017 व आरोपी अध्यापक द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 23.2.2016 का अवलोकन करने उपरान्त मैं सक्षम अनुशासनात्मक अधिकारी होने के नाते इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि विद्यालय मिड डे कुक द्वारा लगाए गए आरोप साबित न होना पाया गया है। अतः मैं पूर्व में आरोपी के विरुद्ध हरियाणा कर्मचारी (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1987 के नियम-7 के तहत जारी आरोप सूची दिनांक 15.2.2016 को फाईल करने का आदेश पारित करता हूँ।

Vishal

(विरेंद्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला। ९

रजिस्टर्ड

सेवा में

श्री कंवर पाल, मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक,
रा0व0मा0वि0 कपूरीकलां (यमुनानगर)

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 11-07-17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर।
2. प्रधानाचार्य, रा0व0मा0वि0 कपूरीकलां (यमुनानगर)
3. आई0टी0सेल

Shob Singh
अधीक्षक एच0आर0एम0-

कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला। ९